फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फर्रूखाबाद

दिनांक :- 02.04.2024

कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 नाजायज तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 01.04.2024 को मुखबिर की सूचना अभियुक्त अभय मिश्रा उर्फ मन्टू मिश्रा पुत्र राजीव मिश्रा निवासी कुचिया महादेव प्रसाद स्ट्रीट कोतवाली फर्रूखाबाद को कुचिया तिकोना सब्जी मण्डी तिराहा कोतवाली फर्रूखाबाद से 01 नाजायज तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 57/24 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभय मिश्रा उर्फ मन्टू मिश्रा पुत्र राजीव मिश्रा निवासी कुचिया महादेव प्रसाद स्ट्रीट कोतवाली फर्रूखाबाद।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त अभय मिश्रा ने बताया कि मेरा परिवारीजनों से विवाद चल रहा हैं मैनें एक राह चलते एक व्यक्ति से तमंचा खरीद लिया था जिसका नाम व पता मुझे मालूम नही हैं। मैं अपने बचाव के लिए तमंचा व कारतूस अपने पास रखता हूँ।

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर।

अभियुक्त अभय मिश्रा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 705/2019 धारा 147/323/452/504/506 भादवि कोतवाली फर्रूखाबाद।
2. मु0अ0सं0- 860/2019 धारा 323/504/506 भादवि कोतवाली फर्रूखाबाद।
3. मु0अ0सं0- 800/2016 धारा 147/148/149/186/332/336/353/427 भादवि व 31(A) क्रिमिनल लॉ (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1934 व 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 कोतवाली फर्रूखाबाद।
4. मु0अ0सं0- 801/2016 धारा 147/148/149/323/336/427/504 भादवि कोतवाली फर्रूखाबाद।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस :-

1. उ0नि0 श्री यतेन्द्र कुमार
2. हे0का0 महेश उपाध्याय
3. का0 अभिषेक प्रताप सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि0- 02.04.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रहीस पुत्र मो0 रसीद उर्फ शहीद निवासी मो0 विरतिया थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज हाल पता पलासपुर जरारी थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 443/1998 वाद स0- 2222/2023 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 02.04.2024 को मा0 न्यायालय जेएम हवाली कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभि0 को दोषसिध्द कर जेल में बिताई अवधि व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एपीओ श्री नजमुद्दीन कादरी

पैरोकार का0 रोहित कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना अमृतपुर

दिनांक-02.04.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त टीटू उर्फ पुष्पेन्द्र विक्रम सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी कुम्हरौर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 191/2004 वाद स0- 285/2004 धारा- 302/34 भा0द0वि0 थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 02.04.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे -05 कोर्ट जनपद फर्रु0 द्वारा अभि0 को दोषसिध्द कर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री कृष्णकुमार पाण्डेय

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 ओमकार सिंह

पैरोकार का0 श्रीकृष्ण सिंह

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट - थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 02.04.2024

थाना मऊदरवाजा व महिला थाना पुलिस टीम द्वारा फर्जी प्रार्थना पत्र की जाँच करते हुये सही तथ्यो को प्रकाश में लाकर झूठी घटना का खुलासा किया गया।

दिनांक 01.04.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ द्वारा शिकायतकर्ता राजेश कुमार पुत्र अनन्तराम निवासी ग्राम मितान की मड़ैया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के प्रार्थना पत्र की जाँच प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा द्वारा प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के सहयोग से किये जाने हेतु आदेशित किया गया। जाँच से निम्न तथ्य सामने आये, जिसका बिन्दुवार विवरण इस प्रकार है-

- दिनांक 01.04.2024 को शिकायतकर्ता राजेश कुमार पुत्र अनन्तराम निवासी ग्राम मितान की मड़ैया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहगढ़ श्री विकास कुमार को एक टाइपसुदा प्रार्थना पत्र इस बावत दिया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 26.03.2024 को रात करीब 10.00 बजे घर के बाहर टॉयलेट के लिये निकली थी, तो उसकी पुत्री ने देखा की उसके मक्के के खेत में आवारा गाय मक्का खा रही है, यह देखकर उसकी पुत्री गाय को भगाने चली गयी और वहीं पड़ोस के खेत में गांव के ही प्रमोद पुत्र बिजेन्द्र, आकाश पुत्र नरेश ने अकेला देखकर उसकी पुत्री को पकड़ लिया तथा मक्का के खेत में बगल में गन्ना के ठूठों के पीछे उसकी पुत्री को ले जाकर उसके साथ उपरोक्त दोनो व्यक्तियो ने गलत काम किया गया, जिससे उसकी पुत्री बेहोश हो गयी, तथा रात में ग्रामवासियों के सहयोग से पुत्री की खोजबीन करते रहे किन्तु वह नही मिली तथा अगले दिन दिनांक 27.03.2024 की शाम 4.00 बजे वह गन्ना के खेत में बेहोश मिली तथा होश में आने पर उसने उपरोक्त बात बतायी।
- उपरोक्त प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ के आदेश के मुताबिक श्री अमित गंगवार प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा तथा श्रीमती पूनम अवस्थी प्रभारी निरीक्षक महिला थाना मय हमराही पुरुष/महिला कर्मचारीगण के साथ दिनांक 01.04.2024 एवं दिनांक 02.04.2024 को प्रार्थना पत्र की जाँच ग्राम मितान की मड़ैया कटरी धर्मपुर मे पहुँचकर गाँव के सम्भ्रान्त व्यक्तियो/महिलाओ आदि की मौजूदगी में शिकायतकर्ता की पुत्री एवं शिकायतकर्ता राजेश कुमार, पीडिता की माँ व अन्य लोगो के बयान पृथक-पृथक मय वीडियोग्राफी के नियमानुसार अंकित किये गये।

- दौराने जाँच शिकायतकर्ता के मोबाइल की छानबीन करने से ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता की लडकी शिकायतकर्ता उपरोक्त की जानकारी के बिना उसके मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल तथा मोबाइल से अलग-अलग व्यक्तियों व लडकों से बाते करती थी जिसके साक्ष्य में शिकायतकर्ता के मोबाइल से बातचीत की रिकार्डिंग्स महिला थाना प्रभारी द्वारा परिवार की महिलाओं के समक्ष शिकायतकर्ता को सुनाई गयी जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता की पुत्री एवं उसके परिजनो द्वारा गलती स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 26.03.2024 को शिकायतकर्ता की पुत्री व उसकी माँ के बीच खाना बनाने को लेकर झगड़ा हो गया था। उसी दिन शाम करीब 08 बजे शिकायतकर्ता की पुत्री गाँव मे बज रहे डीजे पर डांस करते समय लडको प्रमोद व आकाश से बात कर रही थी, जिसको शिकायतकर्ता के भाई ऋषिपाल द्वारा देख लिया और शिकायतकर्ता की पुत्री डर कर वहाँ से घर लौट आयी थी। परिवार वालो की मार पिटाई के डर से शिकायतकर्ता की पुत्री घर के सामने 30 मी0 की दूरी पर स्थित मक्के के खेत की बगल में बनी दीवार से सटकर छुपी रही तथा शिकायतकर्ता व उसके परिवारीजन शिकायतकर्ता की पुत्री को आसपास ढूंढते रहे। दिनांक 27.03.2024 को शिकायतकर्ता राजेश कुमार उपरोक्त व उसके चचेरे भाई मनोज को पीड़िता छिपी हुई हालत में मक्का के खेत के पास दीवार के पास मिली।
- शिकायतकर्ता की पुत्री के मिलने के बाद शिकायतकर्ता व उसके परिजन उक्त घटना की शिकायत थाना स्थानीय अथवा किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष न करते हुये उसको झाड़-फूक करवाने के लिए ले गये थे। बाद में घर वापस आने पर घर की औरतों ने लडकी से पूछा तो उसने डर की वजह से जिन लडको से डीजे पर डांस होने के दौरान बात करते हुए उसके ताऊ ऋषिपाल ने देख लिया था, उन्ही लडको का नाम फर्जी मनगढन्त कहानी गढते हुए बता दिया था।
- गाँव के पूर्व प्रधान धर्मवीर व लक्ष्मण नामक वकील ने मामले को तूल दिलवाते हुए फर्जी मुकदमा लिखाये जाने एवं शिकायतकर्ता को मुआवजा दिलाये जाने का लोभ देकर थाना स्थानीय एंव उच्चाधिकारीगणो पर दवाब बनाने का प्रयास किया गया।
- जाँच के क्रम में पुनः दिनांक 02.04.2024 को शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे पुलिस की जाँच से संतुष्ट होते हुए दिनांक 01.04.2024 को दिये गये अपने शिकायती प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही न किये जाने तथा प्रार्थना पत्र की हो रही जाँच को रोके जाने के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया।
- शिकायतकर्ता द्वारा आज दिनांक 02.04.2024 को दिये गये अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि वह स्वयं तथा उसकी पुत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल अपने नाम का हस्ताक्षर बनाना जानते हैं, उक्त पूरे प्रकरण में उसकी पुत्री द्वारा उसे गुमराह किया तथा जिसका राजनैतिक लाभ लेने की मंशा से पूर्व प्रधान धर्मवीर राजपूत ने लक्ष्मण नामक वकील के साथ मिलकर अपनी प्रधानी की दुश्मनी शिकायतकर्ता को सामने करके साधने की कोशिश की गयी।
- प्रार्थना पत्र की जाँच के उपरान्त शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता की पुत्री से कोई कानूनी कार्यवाही न करने के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र के बारे मे पूछा गया तो शिकायतकर्ता राजेश ने पुलिस द्वारा की गयी जाँच पर संतुष्टि जाहिर करते हुये बताया कि वह उपरोक्त जाँच से संतुष्ट है, वह कुछ लोगो के बहकावे मे आ गया था तथा अब उसको घटना की पूरी सच्चाई का पता लग गया है।

GPS Map Camera
Mohammadabad, Uttar Pradesh, भारत
00, Mohammadabad, Uttar Pradesh 209651, भारत
Lat 27.307507°
Long 79.436106°
02/04/24 12:34 PM GMT +05:30
Google